


FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)
श्यामलाल बनाम पुमशका

स्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 34/2022

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p><u>24/01/22</u></p> <p><u>2022</u> <u>53</u></p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>श्यामलाल खोबी</u></p> <p>पिता श्री <u>मांगू जी खोबी</u></p> <p>निवासी- <u>शेखवेज बस स्टैंड के पीछे चित्तौड़गढ़</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>चित्तौड़गढ़</u> स्थित <u>खोबी</u> खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1739, 2561/1</u></p> <p>कुल कीता <u>2</u> कुल रकबा <u>0.17</u> <u>मे लै 544.16 वर्गज भूमि क्षेत्र (सि. पालिका की)</u> है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>चित्तौड़गढ़</u> स्थित <u>खोबी</u> खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1739, 2561/1</u></p> <p>कुल कीता <u>2</u> रकबा <u>0.17</u> <u>मे लै 544.16 वर्गज भूमि जगरपालिका के नाम पर पेश है के क्षेत्र</u> है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500=00</u> रुपये अक्षरे <u>प्राप्त हो रखा</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (श्याम सुन्दर बहनागढ़) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) </p>



म्यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

सरिश्ता / प्रा.पत्र 34 / 2024 / 47

दिनांक 25/01/22

तहसीलदार
चित्तौडगढ

विषय : पत्थरगढी करने के सम्बन्ध मे।

प्रकरण : शामलाल घोषी डा० मांगू जी घोषी मे० शेडवेज बस खेड के पिछे चित्तौडगढ

बनाम

— शर्मा

- 1- प्रेमशंकर रेगा डा० रामचन्द्र रेगा
- 2- हीरालाल घोषी डा० मांगीलाल जी घोषी
- 3- रमेश रेगा डा० भावक जी रेगा निवासी गुरु शेडवेज बस खेड के पिछे रेगा मोहल्ला चित्तौडगढ
- 4- शामलाल घोषी डा० मेघा जी घोषी निवासी शेडवेज बस खेड के पिछे चित्तौडगढ

— विपरीत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपरोक्त विषयाकित अनवान के प्रकरण मे ग्राम चित्तौडगढ खतौनी सं. 663

संवत् 2068 - 2071 मे अकित आराजी नम्बर 1739, 2561/1

कुल किता 2 रकबा 0.17

मे 544+64 गज भूमि (न.पालना से) कोडमा

नियमानुसार मौके पर विवाद रहित पाये जाने पर कब्जे में दखलन्दाजी किये बिना पक्षकारों को सूचना देकर सीमाकंन (पत्थरगढी) कर दिया जावे। खर्चा कमिश्नर शुल्क रूपये 500=00 अक्षरे पांच स ज्यर मात्र प्रार्थी वहन करेगें। पालना रिपोर्ट न्यायालय मे (15 दिवस में) शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक चित्तौडगढ
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)